न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 110/2020

1. जलेसिंह पुत्र गुगन जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।
2. जसवन्त पुत्र गुगन जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।
3. जयकरण पुत्र गुगन जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।
4. लालचन्द पुत्र गुगन जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।
5. ओनिमा पत्नि शंकरलाल जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।
6. दिनेश पुत्र शंकरलाल उम्र 4 वर्ष जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा जरिये वली कुदरती माता ओनिमा पत्नि शंकरलाल निवासी नुवां त0 भादरा।
7. मलिका पुत्री शंकरलाल उम्र 6 वर्ष जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा जरिये वली कुदरती माता ओनिमा पत्नि शंकरलाल निवासी नुवां त0 भादरा।
8. पायल पुत्री शंकरलाल उम्र 9 वर्ष जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा जरिये वली कुदरती माता ओनिमा पत्नि शंकरलाल निवासी नुवां त0 भादरा।

:— वादीगण

ब ना म

1. गुगन पुत्र हरलाल जाति जाट नवासी नुवां त0 भादरा।
2. कौशल्या पुत्री गुगनराम जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।
3. गुड्डी पुत्री गुगनराम जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।
4. राजबाला पुत्री गुगनराम जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र जी गोयल **: वादीगण**
वकील श्री रविन्द्र मोठसरा **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 08.01.2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा नुवां के खाता सं 38/38 के खसरा सं 438/1 की 5.059है0 बारानी व खसरा सं 496/438 की 5.059है0 कुल 10.118है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं 1 गुगनराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले प्रतिवादीगण के दादा हरलाल की खातेदारी हुआ करती थी। हरलाल के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 गुगनराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादीगण एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादीगण अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अ[illegible] रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये [illegible]ी बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज [illegible] जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने [illegible] 1 ता 4 ने दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया। तनकी कायम की [illegible] अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 जलेसिंह पुत्र गुगन जाति जाट निवासी नुवां के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम नुवां खाता सं 38/38 प्रदर्श 1 जमाबंदी भू प्रबन्धन विभाग प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 10:29:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम नुवां के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। उनमें वाद भूमि वादीगण के दादा हरलाल से विरासतन प्राप्त होना दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में गुगन के वारिसान में 5 पुत्र जलेसिंह, जसवन्त, जयकरण, लालचन्द, शंकरलाल(फौत), व 3 पुत्री कौशल्या, गुड्डी, राजबाला व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। शंकरलाल के जायज वारिसान में ओनिमा पत्नि शंकरलाल, दिनेश पुत्र शंकरलाल, मलिका, पायल पुत्रीयां शंकरलाल है। चूंकि प्रतिवादी सं 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद भूमि में वादीगण सं 1 ता 4 प्रत्येक 1/6 हिस्सा तथा वादीगण सं 5 ता 8 सयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं 01 गुगनराम 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

<u>कियात्मक आदेश</u>

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नुवां के खाता सं 38/38 के खसरा सं 438/1 की 5.059है0 बारानी व खसरा सं 496/438 की 5.059है0 कुल 10.118है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं गुगनराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं 1 गुगनराम के साथ साथ वादीगण सं 1 ता 4 प्रत्येक 1/6 हिस्सा तथा वादीगण सं 5 ता 8 सयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं 01 गुगनराम 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादीया स0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण जलेसिंह, जसवन्त, जयकरण, लालचन्द प्रत्येक 1/6 हिस्सा, तथा प्रतिवादीगण सं 5 ता 8 ओनिमा पत्नि शंकरलाल, दिनेश, मलिका, पायल पुत्रांन स्व0 शंकरलाल जरिये माता ओनिमा संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं 01 गुगनराम 1/6 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 10:29:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 110/2020

1. जलेसिंह पुत्र गुगन जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।
2. जसवन्त पुत्र गुगन जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।
3. जयकरण पुत्र गुगन जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।
4. लालचन्द पुत्र गुगन जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।
5. ओनिमा पत्नि शंकरलाल जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।
6. दिनेश पुत्र शंकरलाल उम्र 4 वर्ष जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा जरिये वली कुदरती माता ओनिमा पत्नि शंकरलाल निवासी नुवां त0 भादरा।
7. मलिका पुत्री शंकरलाल उम्र 6 वर्ष जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा जरिये वली कुदरती माता ओनिमा पत्नि शंकरलाल निवासी नुवां त0 भादरा।
8. पायल पुत्री शंकरलाल उम्र 9 वर्ष जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा जरिये वली कुदरती माता ओनिमा पत्नि शंकरलाल निवासी नुवां त0 भादरा।

:– **वादीगण**

ब ना म

1. गुगन पुत्र हरलाल जाति जाट नवासी नुवां त0 भादरा।
2. कौशल्या पुत्री गुगनराम जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।
3. गुड्डी पुत्री गुगनराम जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।
4. राजबाला पुत्री गुगनराम जाति जाट निवासी नुवां त0 भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेन्द्र गोयल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रविन्द्र मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण सावित होने के कारण मुताविक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नुवां के खाता सं 38/38 के खसरा सं 438/1 की 5.059है0 बारानी व खसरा सं 496/438 की 5.059है0 कुल 10.118है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं गुगनराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं 1 गुगनराम के साथ [illegible] ण सं 1 ता 4 प्रत्येक 1/6 हिस्सा तथा वादीगण सं 5 ता 8 संयुक्त [illegible] व प्रतिवादी सं 01 गुगनराम 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादीया स0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 10:29:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण जलेसिंह, जसवन्त, जयकरण, लालचन्द प्रत्येक 1/6 हिस्सा, तथा प्रतिवादीगण सं 5 ता 8 ओनिमा पत्नि शंकरलाल, दिनेश, मलिका, पायल पुत्रांन स्व0 शंकरलाल जरिये माता ओनिमा संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं 01 गुगनराम 1/6 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 10:29:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner